No. A.12018/1/2018-E.III(UYRB)(part-2)/29
Government of India
Ministry of Water Resources, River Development
& Ganga Rejuvenation
*****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, Dated 24th January, 2019.

To
The Member Secretary,
Upper Yamuna River Board,
West Block – 1, Wing 4,
R.K. Puram, New Delhi.

Subject: Amendment of Recruitment Rules for the posts of Member Secretary, Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Executive Engineer and Design Assistant in Upper Yamuna River Board (UYRB), a subordinate office under Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation – regarding.

Sir,

In continuation with this ministry letter of even number dated 09.01.2019 on the subject cited above enclosed please find herewith a copy of Notified Recruitment Rules pertaining to Upper Yamuna River Board namely "Ministry of Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation, Upper Yamuna River Board (Water Resources Engineering Posts) Recruitment Rules 2019", notified vide GSR number 27 dated 09.01.2019 in the weekly Gazette of India Part-II, Secion3, Sub-Section (i) dated 19.01.2019.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Shalini Juneja)
Under Secretary to the Government of India
Tel No.- 23714350

Copy with enclosures to:

1. The Chief Librarian, Parliament House Library, New Delhi.
2. The Under Secretary, Lok Sabha Secretariat, Committee Branch (Subordinate Legislation), Parliament House, New Delhi.
3. Rajya Sabha Secretariat, Committee Section (Subordinate Legislation), 405, Parl. House Annexe, Extension Building, New Delhi
4. Department of Personnel & Training, Establishment RR Division, North Block, New Delhi
5. RRs Division, UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi.
6. Ministry of Law & Justice (Legislative Branch), Shastri Bhawan, New Delhi.
7. Ministry of Law & Justice (Official Language Wing), Shastri Bhawan, New Delhi.
8. NIC Cell, MoWR, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi (with a request to upload the aforesaid Recruitment Rule on the website of the Ministry under column Recruitment Rules of this Ministry).

(Shalini Juneja)
Under Secretary to the Government of India
Tel No.- 23714350

जल बचत - जल संचय

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 13—जनवरी 19, 2019, शनिवार/ पौष 23—पौष 29, 1940
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 13—JANUARY 19, 2019, SATURDAY/PAUSHA 23— PAUSHA—29, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 17.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एलआईसी के पूर्व अध्यक्ष श्री वी. के. शर्मा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री हेमंत भार्गव, प्रबंध निदेशक को तीन महीने की अवधि या नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपती है।

[फा.सं. ए-15011/02/2018-बीमा-I]

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

(Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. A-12018/11/2017-CGWB]
S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन इंजीनियरी भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, उपरी यमुना नदी बोर्ड में सदस्य सचिव, अधीक्षण इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और डिज़ाइन सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, उपरी यमुना नदी बोर्ड, (जल संसाधन इंजीनियरिंग) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर .**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सदस्य सचिव	1*(2019) * कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क'	स्तर-14 (144200 -	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित, अनुसचिवीय	218200/- रु.)		

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13क या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा की हो; या (iii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्षो की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) जल संसाधन योजना बनाने और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में जिसके अंतर्गत जल संसाधन परियोजनाओं/संकर्मो के सर्वेक्षण, अन्वेषण जल विज्ञान संबंधी संप्रेक्षण, बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान लगाने, संनिर्माण, संक्रिया और अनुरक्षण तथा निगरानी में पंद्रह वर्ष का अनुभव भी हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अधीक्षण इंजीनियर	1*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख'	स्तर-12 (78800 – 209200/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	है।	राजपत्रित, अनुसचिवीय			

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान में सिंचाई और जल उपयोग और जल संसाधन योजना तथा प्रबंध या जल संसाधन या संकर्मो के सर्वेक्षण अनुसन्धान डिजाईन और अनुरक्षण और निगरानी के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव हो । टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कार्यपालक इंजीनियर	3*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67700 - 208700 रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी - (क)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है: या (iii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान में सिंचाई और जल उपयोजन के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त इंजीनियरिंग का या जल संसाधन परियोजनाओं, संक्रियों के सर्वेक्षण, अन्वेषण, डिजाईन करने, संनिर्माण, संक्रिया और अनुरक्षण तथा निगरानी का पांच वर्ष का अनुभव हो । **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक कार्यपालक इंजीनियर	4* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-10 (56100 - 177500 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है: या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; (ii) सिंचाई और जल उपयोजन के क्षेत्र में या सिंचाई परियोजनाओं/संकर्मों का सर्वेक्षण करने, जांच, डिजाईन अनुरक्षण में तीन वर्षों का अनुभव हो । **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. डिज़ाइन सहायक	4*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-7 (44900 - 142400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में सिंचाई और जल उपयोग और योजनाओं/संकर्मों के सर्वेक्षण, अनुसंधान डिज़ाइन और अनुरक्षण के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव हो । **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.ए. 12018/1/2015-स्था.- III (उ.य.न.बो.)(भाग-2)]

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2019

G.S.R.27.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Upper Yamuna River Board (Water Resources Engineering) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Member Secretary, Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Executive Engineer and Design Assistant in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Upper Yamuna River Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Upper Yamuna River Board (Water Resources Engineering Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non – Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Member-Secretary	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level-14 (Rs. 144200-218200/-).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)

Deputation: Officers in Central Water Engineering (Group 'A') Service:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-13A in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-13 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized university or institute; (ii) fifteen years of experience in the field of Water Resources Planning and Management including Surveys, Investigations, Hydrological observations, Flood forecasting, Construction, Operation and Maintenance and Monitoring of Water Resources Projects or works in the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Government recognized institute. **Note 1:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Superintending Engineer	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-ministerial	Level-12 (Rs. 78800-209200/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers from Central Government or State Government or Union territories Administration:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute; (ii) ten years experience in the field of irrigation and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

water utilization or in the surveys, investigation, design, construction, Operation and maintenance and monitoring of Water Resources Projects or Works in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Government recognized institute. **Note 1:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Executive Engineer	3* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers from the Central Government or State Governments or Union territories Administration:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute; (ii) Five years experience in applied engineering in the field of Irrigation and Water utilisation or in the Surveys, Investigations, Design, Construction, Operation and Maintenance and Monitoring of Water Resources Projects or Works in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Government recognized institute. **Note 1:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. Assistant Executive Engineer.	4* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-10 (Rs. 56100-177500/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute; (ii) Three years experience in the field of irrigation and Water utilization or in Surveys, Investigations, Design, Maintenance of Irrigation Projects or Works in the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Government recognized institute. Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceeding three years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Design Assistant	4* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level - 7 (Rs. 44900-142400/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administration:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level – 6 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute. (ii) Two years experience in the field of irrigation and water utilization or in survey, investigation, design and maintenance of irrigation projects or works in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Government recognized institute. **Note 1:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.		

[F. No. A.12018/1/2015-E.III(UYRB) (PART2)]

NARENDRA SINGH, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन मंत्रालय, उप-महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक/निदेशक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, पर्यटन मंत्रालय में उप-महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक/निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, उप-महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक और निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उपरोक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।